

मद संख्या

भूमि अर्जन अनुमात्र

परिषद के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

विषय:- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित हरदोई रोड योजना में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आवासीय योजना संचालित करने हेतु आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना को उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में संचालित करने हेतु आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य तथा सचिव आवास की अध्यक्षता में दिनांक 21.09.2002 को बैठक आयोजित हुई थी, जिसके तदनुक्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण के बोर्ड की बैठक दि० 24.10.02 में निम्नानुसार प्रस्ताव (संलग्नक-1) का अनुमोदन किया गया है।

हरदोई रोड योजना के सेक्टर-ई में लगभग 119 एकड़ एवं सेक्टर-एच (आंशिक) के 71 एकड़, कुल लगभग 190 एकड़ भूमि आवास एवं विकास परिषद को निम्न शर्तों के अधीन हस्तांतरित किए जाने पर विचार किया जा सकता है -

1. सम्पूर्ण योजना से संबंधित वाह्य विकास कार्य, जैसे सीवेज डिस्पोजल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, योजना स्थल तक पेयजल की आपूर्ति एवं ट्रंक ड्रेनेज संबंधी कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जायेंगे।
2. आनुपत्तिक व्यय क्षेत्रफल के आधार पर दोनों संस्थाओं द्वारा वहन किया जायेगा।
3. आवास एवं विकास परिषद केवल सेक्टर-ई० एवं एच० में आंतरिक विकास एवं निर्माण करायेगा।
4. उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि के विरुद्ध देय धनराशि लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की अपनी कांस्टिंग में निर्धारित भूमि का मूल्य देय होगा।
6. भू-मूल्य के भुगतान के बाद किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी यदि किसी न्यायालय द्वारा की जाती है तो वह समस्त धनराशि परिषद की देनदारी होगी।

दिनांक 21.09.2002 को आयोजित संयुक्त बैठक में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत टेन्टेटिव प्रोजेक्ट कास्ट (संलग्नक-2) के अनुसार भूमि दर रू० 118/- प्रति वर्ग मीटर की दर से 190 एकड़ का भूमि मूल्य रू० 907.11 लाख आगणित होता है।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ने विकास प्राधिकरण से अन्य शहरों में भी आवासीय योजना संचालित करने के लिये भूमि ली है। इन योजनाओं में भूमि की दरों का निर्धारण आदि शासन द्वारा निर्धारित किया जाना है तदनुसार विकास प्राधिकरण लखनऊ की उक्त भूमि की दरों का निर्धारण शासन स्तर पर कराकर भुगतान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्तानुसार हरदोई रोड योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण से 190 एकड़ भूमि आवासीय योजना संचालित किए जाने हेतु प्राप्त करने का प्रस्ताव परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अधीक्षण अभियन्ता

संयुक्त आवास आयुक्त

मुख्य अभियन्ता

अपर आवास आयुक्त

आवास आयुक्त




लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ
1958/AC/H.R/02
18/12/02

सांकेतिक कब्जा प्रमाण-पत्र

हरदोई रोड योजना में 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद को भूमि हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ के पत्र संख्या: 1934/ए0सी/एच0आर0/02 दिनांक 10 दिसम्बर, 02 के अनुक्रम में हरदोई रोड योजना के सेक्टर 'ई' की लगभग 119 एकड़ भूमि तथा सेक्टर 'एच' की आंशिक लगभग 71 एकड़ भूमि (कुल 190 एकड़) का सांकेतिक कब्जा आज दिनांक 18.12.02 को हस्तगत किया गया। हस्तगत भूमि का मानचित्र संलग्न है।

कब्जा देने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर


कब्जा प्राप्त करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर



(एस0के0 त्रिपाठी)

सहायक अभियन्ता

लखनऊ विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।


अरवि-५५/११/१२/०२
18/12/02



(के0पी0 त्रिपाठी)

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड-21

30प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।


प्रति हस्ताक्षरित


(वी0एन0 सिंह)

अधिशासी अभियन्ता-2

लखनऊ विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।


(एम0ए0ए0 अंसारी)

अधिशासी अभियन्ता-निर्माण खण्ड-21

30प्र0 आवास एवं विकास परिषद

लखनऊ।

दस्ता


19/12/02